

**कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी जनपद कुशीनगर**

**विज्ञप्ति**

संख्या — / व्यवस्थापन / ई-लाटरी / कुशीनगर / 2021-22 / दिनांक:— 22-02-2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या-24783-24858 / दस-लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2021-22 दिनांक: फरवरी 17, 2021 के अन्तर्गत प्रथम चरण की ई-लाटरी के उपरान्त अवशेष अव्यवस्थित देशी मदिरा दुकान गंगुआ का " दूसरे चरण में ई-लाटरी (ई-लाटरी के प्रथम चरण के पश्चात् व्यवस्थापन हेतु अवशेष समस्त दुकानों) वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 / लाइसेंस फीस पर होना प्राविधानित है। वर्ष 2021-22 हेतु द्वितीय चरण की ई-लाटरी प्रणाली के माध्यम से ऑन लाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त कर व्यवस्थापन कराया जाना है। इस हेतु इच्छुक आवेदकों से ई-लाटरी पोर्टल [www.upexciseelottery.gov.in](http://www.upexciseelottery.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। दुकान का विवरण निम्नवत है:-

देशी शराब दुकान:-

क मां क	दुकान का नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2021-22 का निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस (रु0 में)	वर्ष 2021-22 का निर्धारित एम0जी0क्यू0 (36 प्रतिशत वी/वी में)	प्रोसेसिंग फीस (रु0 में)	हैसियत (रु0 में)	वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (रु0 में)	धरोहर धनराशि (रु0 में)
01	(34301) गंगुआ	ग्रामीण	3564000	108000	20000	4662000	2440800	356400

उल्लिखित आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन निम्नानुसार समय सारणी के अन्तर्गत किया जायेगा:-

कमां क	विवरण	तिथि / अवधि
01	द्वितीय चरण की ई-लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारम्भ करने की तिथि व समय	23.02.2021 मध्यान्ह 12:00 बजे से
02	द्वितीय चरण की ई-लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय	26.02.2021 सायं 05:00 बजे तक
03	द्वितीय चरण की ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	27.02.2021 को सायं 05:00 बजे तक
04	द्वितीय चरण की ई-लाटरी की तिथि / समय एवं स्थल	02.03.2021 को प्रातः 12:30 बजे से समाप्ति तक, स्थान कलेक्ट्रेट सभागार कुशीनगर।
05	द्वितीय चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अन्तिम तिथि	05.03.2021 को समय सायं 5:00 बजे तक।

01- वर्ष 2021-22 में मदिरा की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण दिया जाना अनिवार्य है। दिनांक 01.01.2020 के पश्चात् निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

02- निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट अपलोड करने के उपरान्त मूल रूप में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर में दिनांक 27.02.2021 को सायं 05:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि व समय तक बैंक ड्राफ्ट न प्राप्त होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

03- आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है।

उक्त के अतिरिक्त दुकानवार विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

(राजवीर सिंह)


जिला आबकारी अधिकारी,  
कुशीनगर।

(एस0 राजलिंगम)

जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी  
कुशीनगर।

संख्या 1453/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कुशीनगर को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
जिला सूचना अधिकारी,  
कुशीनगर।